

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा  
प्रकरण संख्या : 72/2023  
रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/82

राजस्थान राज्य जरिये  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
बांसवाड़ा (राज)

अभियुक्त :-

बनाम

1. श्री अंतिम जैन पुत्र श्री सुरेन्द्र जैन निवासी खांदु कोलोनी बांसवाड़ा (विक्रेता) मैसर्स विनित एजेन्सी, न्यू बस स्टेण्ड, रवि ट्रेवल्स के पास, बांसवाड़ा
2. प्रियंका जैन पत्नी विनित जैन निवासी खांदु कोलोनी बांसवाड़ा (मालिक) मैसर्स विनित एजेन्सी, न्यू बस स्टेण्ड, रवि ट्रेवल्स के पास, बांसवाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम 2006, नियम 2011  
निर्णय

दिनांक 27-02-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री शशिकांत शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 17-10-2023 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 17-01-2023 को 1.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स विनित एजेन्सी, न्यू बस स्टेण्ड, रवि ट्रेवल्स के पास, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री अंतिम जैन पुत्र श्री सुरेन्द्र जैन उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स विनित एजेन्सी, न्यू बस स्टेण्ड, रवि ट्रेवल्स के पास, बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर दुकान में पान मसाला (रजनीगंधा) 16 पैकेट, प्रत्येक 432 ग्राम, प्रत्येक पैकेट में 108 पाउच, प्रत्येक पाउच में 4 ग्राम के विक्रय हेतु रखे थे। उक्त पान मसाला (रजनीगंधा) में मिलावट का अन्वेषण होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए पान मसाला (रजनीगंधा)


न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति.जिला कलक्टर)  
बांसवाड़ा (राज.)



के 4 पैकेट प्रत्येक 432 ग्राम, प्रत्येक पैकेट में 108 पाउच, प्रत्येक पाउच में 4 ग्राम के वास्ते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 6480/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा पान मसाला (रजनीगंधा) के 4 पैकेट प्रत्येक 432 ग्राम, प्रत्येक पैकेट में 108 पाउच, प्रत्येक पाउच में 4 ग्राम के 1-1 पैकेट के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1265** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/51 दिनांक 06-02-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 62 दिनांक 30-01-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया पान मसाला (रजनीगंधा) का नमुना कोड क्रमांक



  
न्याय नियंत्रण अधिकारी  
(अति.जिला क्लवटर)  
बॉसवाडा (राज.)

**W-1265** Misbranded food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards act 2006  
पाया गया।


विक्रेता द्वारा नमूने के द्वितीय भाग की जाँच करवाने बाबत् फार्म नंबर 8 में आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) बांसवाड़ा को आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन एवं अपील पर नमूने की पुनः जाँच हेतु आरएफएल मैसूर भिजवाया गया। अभिहित अधिकारी बांसवाड़ा के पत्रांक 426 दिनांक 10.08.2023 व आरएफएल मैसूर की जाँच रिपोर्ट 384F/FSSA/2023 दिनांक 23.05.2023 के तहत यह नमूना एफएसएसए की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। विक्रेता द्वारा पान मसाला (रजनीगंधा) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 19-10-2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 18.12.2023 को अप्रार्थीगणों की ओर से श्री चन्द्रेश मेहता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ।

दिनांक 20-02-2024 को अप्रार्थीगणों ने अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी बांसवाड़ा के पत्रांक 426 दिनांक 10.08.2023 व आरएफएल मैसूर की जाँच रिपोर्ट 384F/FSSA/2023 दिनांक 23.05.2023 के तहत यह नमूना एफएसएसए की धारा 3(1)(zx) के तहत पान मसाला (रजनीगंधा) का नमूना **W-1265** सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणों द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब



  
न्याय नियम अधिकारी  
(अति.जिला कंसक्टर)  
बांसवाड़ा (राज.)  
बांसवाड़ा (राज.)

किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड पाया गया पान मसाला (रजनीगंधा) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री अंतिम जैन पुत्र श्री सुरेन्द्र जैन निवासी खांदु कोलोनी बांसवाडा (विक्रेता) मैसर्स विनित एजेन्सी, न्यू बस स्टेण्ड, रवि ट्रेवल्स के पास, बांसवाडा को रूपये 2500/- (अक्षरे दो हजार पाँच सौ रुपया मात्र), श्रीमती प्रियंका जैन पत्नी विनित जैन निवासी खांदु कोलोनी बांसवाडा (मालिक) मैसर्स विनित एजेन्सी, न्यू बस स्टेण्ड, रवि ट्रेवल्स के पास, बांसवाडा को रूपये 2500/- (अक्षरे दो हजार पाँच सौ रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 27-02-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गायल)  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति० जिला मजिस्ट्रेट)  
बांसवाडा (राज.)

